संख्या–6–ई.एम. / 2000–का–4–2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2017

विषयः–राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश के अधिवेशन दिनांक 06.10.2017 एवं दिनांक 07.10.2017 को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश का 02 दिवसीय अधिवेशन दिनांक 06.10.2017 एवं दिनांक 07.10.2017 को सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। महासंघ के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को 02 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को दिनांक 06.10.2017 एवं दिनांक 07.10.2017 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–6–ई.एम. / 2000(1)–का–4–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(कुमार राघवेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव